न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः — 156/2024 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2024/582

1. लीला पुत्री गोकल जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्बाहेडा राज०
2. शम्भूलाल पिता पन्ना जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमती आरती पत्नी दुर्गेश जी गोदपुत्री वाबुलाल जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्बाहेडा राज०

—प्रार्थीगण

वनाम

1. गोकल पिता पन्ना जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्बाहेडा राज०
2. शोभालाल पिता किशनलाल जी जाति सालवी निवासी मेनार तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज०
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज०
4. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :—1—श्री ज्ञानचन्द्र धाकड — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2—श्री राकेश भट्ट — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3—श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया —अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय ::

दिनांक :— 20.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि मोजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन की आराजी नम्बर 371 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 372 रकवा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 373 रकवा 0.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. उपरौक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता व दादा जी पन्ना जी के समय की है तथा पन्ना जी के जीवनकाल में प्रार्थीया लीला के पिता गोकल जी, प्रार्थी शम्भूलाल एवं श्रीमती आरती के गोद पिता वावुलाल जी शामिल रहते थे और परिवार में कर्ता पुरुष व वालिग होने से गोकल पिता पन्ना जी के नाम से उक्त आराजीयात आवंटित कराई जिसके पुराने आठ[illegible] रकवा 4 विघा हैं, तथा उस समय गोकल, वावु व शम्भू तीनों भाईयो ने 3[illegible] में [illegible] आवंटित शुदा जमीन में 1/3–1/3 हक हिस्सा तीन[illegible] अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर स्वयं काविज होकर काश्त करे, रहन करे, वय, वक्षीश[illegible] किसी को कोई आपति नहीं होगी। तथा उक्त 3[illegible]जी में कुंआ भी शामला[illegible] खुदाया था उसमें भी तीनो भाईयो का समानहक हिस्सा रखा गया। जो कि सन 1984 में आपस में इकरारनामा वंटवारानामा लिखा गया है, उसी अनुसार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

1984 में आपस में इकरारनामा बंटवारानामा लिखा गया है, उसी अनुसार मौके पर काविज चले आ रहे हैं। तथा प्रार्थी शम्भूलाल उक्त आराजी के 1/3 भाग पर एवं गोकल के 1/3 भाग पर गोकल एवं प्रार्थीया लीला काविज है एवं बाबुलाल फौत होने से उसके 1/3 भाग पर उसकी गोद पुत्री प्रार्थीया आरती काविज चली आ रही हैं।

3. विपक्षी सं० 1 की आयु 80 साल की होकर वृद्ध है और उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई है तथा वर्तमान में जमीनों की किमते बढ़ जाने से विपक्षी सं० 1 की नियत में बदयांति आ गई है और भू माफीयाओ के सिखावे में आकर विपक्षी सं० 1 ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को विपक्षी सं० 2 शोभालाल को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 08.07.2024 को करा दिया जबकि उक्त आराजीयात में प्रार्थी शम्भूलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थीया आरती 1/3 हिस्सा अपने गोदपिता बाबुलाल से मिला हुआ है तथा प्रार्थीया लीला का 1/3 में से 1/2 हिस्सा अपने पिता गोकल के हिस्से में से जन्म से निहित है, इस प्रकार तीनो प्रार्थीगण का कुल 5/6 हिस्सा निहित हैं, इसलिये प्रार्थीगण की बगैर लिखित अनुमति के विपक्षी सं० 1 को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात का रकबा विक्रय करने का अधिकार नहीं था इसलिये उक्त विक्रयपत्र प्रार्थीगण के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य दस्तावेज है तथा उक्त आराजीयात का उचित प्रतिफल व कब्जे का आदान प्रदान नही किया गया इसलिए उक्त बिकाव बोगस व फर्जी है जो कि मात्र प्रार्थीगण को उनके जायज हक से वंचित करने की नियत से किया गया है।

4. वर्णित आराजीयात प्रार्थी शम्भूलाल के शामिल शरीक रहते हुए परिवार में बडा भाई विपक्षी सं० 1 गोकल कर्ता खानदान होने से उक्त आराजीयात गोकल के नाम से आवंटित कराई लेकिन मौके पर गोकल व उसके दोनो भाई शम्भूलाल व बाबुलाल का समान रूप से 1/3–1/3 हक हिस्सा व अधिकाररखा गया तथा इस संबंध में दिनांक 16.11.1984 को स्टाम्प पर रूबरू गवाहान बंटवाडा विलेख निश्पादित किया गया और उसी अनुसार तीनो भाईयो ने उक्त आराजीयात को काबिज काश्त करने में अपनी पुरी जिन्दगी की मेहनत की कमाई लगा दी और कुंआ भी शामलाती तौर से खुदवाया काबिल काश्त बनाया, जिसमें भी तीनों भाईयो का समान 1/3–1/3 हक हिस्सा रखा गया, इसके बावजुद भी विपक्षी सं० 1 ने सम्पूर्ण आराजीयात की विक्रय की रजिस्ट्री विपक्षी सं० 2 के नाम पर गुपचुप तरीके से करा दी है जो प्रार्थीगण के हितो के मुकाबले शून्य है। क्योंकि विपक्षी सं० 1 को अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा प्रार्थीया लीला बाई का एवं 1/6 हिस्सा विपक्षी सं० 1 का था और उसी हक हिस्से को ही हस्तांतरण करने का अधिकार था। इसलिये उक्त विक्रय पत्र प्रार्थी[illegible] हितो के मुकाबले नल एण्ड वॉइड है। मौके पर प्रार्थीगण अपने अपने [illegible] हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है [illegible] उक्त आराजीयात घोषित फरमाया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर लगान की [illegible]टनी की जावें तथा उक्त विक्रय पत्र में कब्जे का कोई आदान प्रदान नही हुआ हैं, इसलिये उक्त दस्तावेज विधि अनुसार शून्य दस्तावेज होकर नल एण्ड वोईड है जिसके आधार पर विपक्षी सं० 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

5. प्रार्थीगण ने दिनांक 16.07.2024 को विपक्षीगण से उक्त विक्रय पत्र खारिज कराने हेतु व आराजीयात प्रार्थीगण के नाम कराने हेतु कहा तो वो इंकार हो गये और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया और प्रार्थीगण का हक हिस्सा मानने से इंकार कर दिया और जायदाद खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दी, इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि वो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा आराजीयात के किसी भी भूभाग को जरिये रहन, बय, बक्शीश या अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करावें तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें न करावें तथा मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो। यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थीगण का वाद पेश करना व्यर्थ हो जावेगा।

6. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरण में वर्णित अनुसार वाद झूठ व मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो निश्चित रूप से खारीज होना ऐसी पुरी संभावना है। उक्त चरण में वर्णित तथ्य मनगढंत झूठे तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है तथा उक्त आराजीयात विपक्षी नं० 1 मोकल जी को आवंटित शुदा जमीन है, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार किसी हैसियत से नहीं है तथा प्रार्थीगण का कोई संबंधसरोकार वादग्रस्त आराजी से कभी नहीं रहा है, उक्त आराजीयात विपक्षी नं० 1 मोकलजी को आवंटित हुई जिसके बाद से मोकलजी ही उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा किसी प्रकार से विपक्षी नं० 1 तथाकथित बटवारा नामा निष्पादित नहीं कराया न ही अन्य किसी भाईयों का व प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। इस प्रकार उक्त चरण अस्वीकार है। विपक्षी नं० 1 मोकलजी का स्वअर्जित आराजीयात होने से व अपने इलाज भरण पोषण हेतु तथा कर्ज अदायगी के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से विपक्षी नं० 1 द्वारा दिनांक 08/07/2024 को विपक्षी नं० 2 शोभालाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तभी से विपक्षी नं० 2 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा विपक्षी नं० 2 सदभाविक क्रेता होकर मालिक स्वामी है। इस प्रकार उक्त चरण सम्पूर्ण [illegible] अस्वीकार है। उक्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, उक्तआराजीया तन विपक्षी नं० [illegible] अधिकार निहित था अन्य किसी का कोई हक अधिकार [illegible] विपक्षी नं० 1 के द्वारा बटवारा निष्पादित [illegible] प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित कोई दस्तावेज बटवारे बाबत पेश किया जाता है जो [illegible] बनावटी कूट रचित दस्तावेज है जो विपक्षी नं० 1 व 2 पर बंधनकारी नहीं है, तथा उक्त आराजीयात में विपक्षी नं० 1 का हक अधिकार निहित था, तथा विपक्षी नं० 1 द्वारा विपक्षी नं० 2 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र विधि सम्मत दस्तावेज होने से वैध प्रभावी है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण उक्त दस्तावेज को किसी भी प्रकार से शुन्य व नल एंड वाईड कराने के अधिकारी नही हैं। इस प्रकार उक्त आराजी की कोई प्रार्थीगण के नाम की घौषणा कराने के अधिकारी नही है। उक्त चरण सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं। आवेदन पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, दिनांक 16/07/2024 को प्रार्थीगण ने कोई विक्रय पत्र खरीज कराने का कथन झुठा लिखा है जब प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक अधिकार नही है तथा विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित आराजीयात हैं तथा विपक्षी नं० 1 को अपनी स्वअर्जित आराजीयात को हर प्रकार से हस्तांतरण रहन विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए प्रार्थीगण विपक्षी नं01 व 2 को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त होने योग्य है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है जब प्रार्थीगण का कोई कब्जा है ही नही तो सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। विपक्षी क्रमांक 3 व 4 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार है:–

i. सरस्वती देवी बनाम महाराव ब्रजराज सिंह आर.आर.टी 2006–7 (सप)591
ii. मेघराज बनाम बाली बाई व अन्य आर.आर.टी 2009–10 (सप) 208

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात विपक्षी क्रमांक 1 गोकल की आवंटन शुदा आराजियात होने से अपने कर्ज अदायगी होने से विपक्षी नम्बर 2 शोभालाल को जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र से दिनांक 08.07.20204 को विक्रय कर उक्त [illegible] का कब्जा सुपुर्द कर देने से उक्त आराजियात पर विपक्षी नम्बर 2 क्रय करने [illegible] बाद विपक्षी नम्बर 2 काबिज होकर काश्त कर रहा है [illegible] आराजियात नहीं होने से व विपक्षी नम्बर 1 की स्वअर्जित आराजियात होने [illegible] हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत भी प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया उक्त आराजियात पर कोई भी हक अधिकार नियत नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के प[illegible]में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

II. **<u>अपूरणीय क्षति</u>**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है । अपूर्णीय क्षति विपक्षी नम्बर 2 के क्रय होने से एवं विपक्षी नम्बर 1 की स्वर्जित आराजियात होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में विपक्षी नम्बर 1 की स्वर्जित भूमि होने से विक्रय करने का पूर्ण हक अधिकार था तथा विपक्षी नम्बर 2 द्वारा उक्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर उपभोग उपयोग करने से प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2024 को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर न्यायालय निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:10:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner